

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ (म0प्र0)**

**—:: विविध आदेश ::—**

क्रमांक.....14...../2024

टीकमगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2024

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-03/2019/1/4 भोपाल, दिनांक 26.03.2024 के द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के आलोक में संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना एवं मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/488 जबलपुर दिनांक 22.01.2015 के आलोक में **दिनांक 26.04.2024 दिन शुक्रवार को** मतदान के लिए न्यायिक जिला स्थापना टीकमगढ़ के अंतर्गत जिला मुख्यालय टीकमगढ़ तथा तहसील न्यायालय जतारा, निवाड़ी एवं ओरछा के समस्त न्यायालयों एवं अनुभागों के लिए **मतदान हेतु सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।**


**सही/-**

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
टीकमगढ़ (म0प्र0)

पृष्ठां.क्र / 274 / 2024  
**प्रतिलिपि -**

टीकमगढ़ दिनांक 11. अप्रैल, 2024

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मान्नीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़
3. समस्त न्यायाधीशगण टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ एवं समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
5. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जे0एस0ए0, कम्प्यूटर अनुभाग, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
टीकमगढ़ (म0प्र0)